Potal

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कं./विधि/समीक्षा केम्प/निराकरण/मई/2018/ 404 भोपाल, दिनांक 09/5/18

प्रति

1– संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, विधि प्रकोष्ठ
जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, म.प्र.।

2– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

2– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
म.प्र.।

विषयः– विकासखण्ड स्तरीय विधिक समस्या निवारण केम्प दिनांक 18.05.2018 के संबंध में।

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत दिनांक 18.05.2018 को समस्त जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु एक केम्प आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालन को भी प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा निराकृत किया जाना है। इस संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी स्तर पर विधिक प्रकरणों के लिये एक कांउटर बनाया जायेगा। इस कांउटर पर संबंधित याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका की छायाप्रति/माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति एंव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन/अभ्यावेदन कांउटर पर प्रस्तुत कर पावती प्राप्त करेगा। इस केम्प में विधिक प्रकरणों का अभिलेख विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकलित किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी इन विधिक प्रकरणों की जानकारी की समीक्षा कर इन अभ्यावेदनों का निराकरण स्तर अनुसार करने की कार्यवाही 3 दिवस में सुनिश्चित करेंगे। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ एंव संभागीय संयुक्त संचालक इन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

यदि अभ्यावेदन का निराकरण संयुक्त संचालक/संचालनालय स्तर से किया जाना है तो जिला शिक्षा अधिकारी अपने अभिमत सहित यह प्रस्ताव पत्रवाहक के द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के कार्यालय/संचालनालय में उपलब्ध करायेंगे। यदि प्रकरण निराकरण में कठिनाई आती है, तो संबंधित जि.शि. अधि. शासकीय अधिवक्ता का विधिक अभिमत प्राप्त कर एकल नस्ती प्रस्ताव संचालनालय के विधि कक्ष में 1 सप्ताह की समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नः– प्रारूप।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. कं./विधि/समीक्षा केम्प/निराकरण/मई/2018 405 भोपाल, दिनांक 9/5/18

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, म.प्र.।
2– समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
3– समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग।
की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

//प्रारूप//

विकासखण्ड स्तरीय समस्या निवारण केम्प दिनांक 18.05.2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से संबंधित आवेदन/अभ्यावेदन :–

1– याचिका की छायाप्रति

2– मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति ।

3– याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/आवेदन की प्रति।

जिला स्तर पर छानबीन कर प्रकरणों की जानकारी संकलित करनें का प्रारूप।

स.क.	याचिका कमांक	याचिकाकर्ता का नाम	संक्षिप्त विषय	पारित निर्णय के पालन का स्तर			रिमार्क
1	2	3	4	जिला	संभाग	संचालनालय	6

नोटः– विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होनें वाले केम्प में अभ्यावेदन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकलित किया जाकर विधिक प्रकरणों की जानकारीमय अभिलेख के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेगी। जिसे जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रारूप में निराकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे।